आदेश

संस्था के आदेश संख्या 243/छात्रवृत्ति–आदेश 2022–23 दिनांक 27–04–2022 के क्रम में संस्था स्तर पर गठित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति समिति सदस्यों को पुनः आदेशित किया जाता है कि जिला जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पत्रांक 25/पि0व0का/छात्रवृत्ति 2022–23 दिनांक 26 अप्रैल 2022 में निम्न निर्देश दिए गए है–

1– यदि छात्रा अध्ययन वर्ष के दौरान, यह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्रा को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क) की धनरशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी।

2– यदि छात्रा दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों मे अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।

3– शैक्षधिक सत्र 2021–22 के दौरान 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा। यदि किसी छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम हो तो छात्रा को भुगतानित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

अतः समस्त समिति सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परीक्षण करते हुए अपात्र छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 04 दिवस के अन्दर नीचे अंकित लेखा शीर्षक में वापस कराते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया जाना है। यदि दिनांक 07–05–2022 के उपरान्त संस्था के औचक/स्थलीय अभिलेख निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई प्रकरण पाया जाता है तो उसे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय लेखा शीर्षक–250–अन्य सामाजिक सेवाएं–00–800–अन्य प्राप्तियां–99–प्रकीर्ण प्राप्तियां–00

संलग्नक–1– जि0पि0वर्ग कल्याण अधिकारी के आदेश की प्रति

2– छात्राओं की सूची शाखावार एवम् वर्गवार (सा0/पि0/अनु0जा0/अल्प0) की डाउनलोड प्रति

(एस0के0श्रीवास्तव) 30/04/2022
प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ

पत्रांक 325 /छात्रवृत्ति–2022–23 दिनांक– 30-4-2022

प्रतिलिपि–समस्त छात्रवृत्ति समिति सदस्य/ विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी/कक्षाध्यापकों के मध्य अनुपालनार्थ चकीकरण हेतु।

(एस0के0श्रीवास्तव) 30/4/2022
प्रधानाचार्य

1– इलेक्ट्रानिक्स विभाग
2– आई0 एंड सी0
3– आई0टी0
4– पी0जी0डी0सी0ए0
5– पी0जी0डी0ए0
6–आई0डी0डी0
7–एफ0डी0जी0टी0
8–आर्कीटेक्चर
9–वेब डिजाइनिंग
10–एम0ओ0एम0 एंड एस0पी0